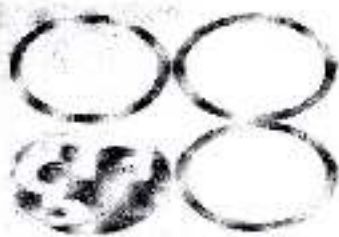


उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन से सारंगपुर-पचौर मार्ग
पर साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ
परिवहनकर्ता कार्य हेतु
तृतीय ई-निविदा प्रपत्र
वर्ष 2020-23



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

मकसी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन-456001

दूरभाष - 2527061, 2527068, 2527066

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
उज्जैन

मोनो

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मकनी रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 108, उज्जैन-458001 (म.प्र.)

दूरभाष - 0731 2527068, फैक्स नं. 2527033

साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु तृतीय ई-निविदा सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा उज्जैन से सारंगपुर-पचौर मार्ग पर साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ को इंशुलेटेड वाहन से परिवहन हेतु प्रति किलोमीटर दर आधार पर परिवहन कार्य करने एवं खाली क्रेट वापस पहुंचाने के लिए तीन वर्ष की अवधि (जिसे जार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा) हेतु निम्नानुसार तृतीय ई - निविदा आमंत्रित की जाती है :

नम क्रमांक	वाहन का प्रकार	क्रेट क्षमता	मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी
1	वाहन-407 या समकक्ष मॉडल - 2016 या उसके बाद का (इंशुलेटेड)	300 क्रेट	उज्जैन से सारंगपुर - पचौर मार्ग	230 कि.मी. आना-जाना प्रतिदिन

इच्छुक आवेदक वेबसाइट <http://www.nptenders.gov.in> के माध्यम से निविदा प्रपत्र दिनांक 07/05/2021 प्रातः 11:00 बजे से 17/05/2021 प्रातः 11:00 बजे तक ऑनलाइन क्रय कर पूर्ण रूप से भरकर निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करें। निविदा प्रपत्र में वर्णित तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे अमानत राशि रु. 10,000/- ऑनलाइन रूप से जमा करनी होगी। प्राप्त सभी निविदाएं दिनांक 18/05/2021 दोपहर 12:00 बजे निविदाकार/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जाएंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की पित्तीय दरे दिनांक 21/05/2021 तक खोली जाएगी। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए वेब साइट www.sanchidairy.com पर लॉग ऑन करें।

किसी भी निविदा को बिना कारण बताए हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा जो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

18-40
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ
उज्जैन

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन हेतु
निविदा प्रपत्र

1	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 07/05/2021 प्रातः 11:00 बजे से
2	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	17/05/2021 प्रातः 11:00 बजे तक
3	तकनीकी बीड ऑनलाईन रूप से खोलने की तिथि एवं समय	18/05/2021 दोपहर 12:00 बजे
4	चिंत्नीय बीड (प्राइज बीड) खोलने की तिथि एवं समय	21/05/2021 तक किसी भी कार्य दिवस में।
5	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	ईएमडी राशि रुपये 10,000/- ऑनलाईन भुगतान करें।
6	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रुपये 500/- (पांच सौ मात्र) (केवल ऑनलाईन भरें।)
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
8	दुग्ध परिवहनकर्ता कार्य हेतु तकनीकी अर्हताएँ का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें	प्रपत्र 01 एवं 02 लिफाफा 'A' (केवल ऑनलाईन भरें।)
9	"भाव पत्र/दरें" प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र- 03 (केवल ऑनलाईन भरें।)
10	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र - 04 (केवल ऑनलाईन भरें।)

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- निविदा प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 4 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावगी।
- प्रपत्र 03 जिसमें दरें संलग्न होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त दरें को निरस्त समझा जावेगा।

टिप्पणी :-

1. ऑनलाईन निविदा अपलोड एवं प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जाएगी।
2. निविदा कार्य अवधि :-

निविदाएँ निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2020-2023 (3 वर्ष) के लिए आमंत्रित हैं। कार्य संतोषप्रद होने पर आनसी सहमति से एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

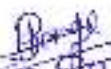

उपनिर्देशक निविदा
उत्तम सुख सहा. कार्या.
बजट

साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता हेतु

निविदा की आवश्यक शर्तें

1. निविदाकार को निविदा प्रपत्र - 01 के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. निविदाकार के पास (मॉडल-2016 या उसके बाद का) स्वयं का अथवा अनुवधित इंसुलेटेड चार पहिया वाहन (वाहन का प्रकार टाटा-407 अथवा समकक्ष वाहन क्षमता 300 क्रेट) होना आवश्यक है यदि निविदाकार मॉडल-2016 या उसके बाद का या नया वाहन क्रय करना चाहता है तो तदाशय का शपथ पत्र रु. 100/- के गॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें। वाहन को इंसुलेटेड कराने हेतु एक माह का समय दिया जावेगा। इंसुलेटेड वाहन (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 4 इंच या जग इंसुलेटेड 02 इंच) वर्ष - 2016 या उसके बाद पंजीकृत चार पहिया वाहन (वाहन का प्रकार टाटा-407 अथवा समकक्ष वाहन क्षमता 300 क्रेट) होना चाहिए, वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी, अन्यथा कार्यदेश निरस्त कर अनानत शशि राजसात को ज्ञात करती हैं।
3. निविदाकार आवेदक निविदा के साथ रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) अर्नेस्ट मनी के रूप में ऑनलाइन सज्जैन सरकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सज्जैन के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
4. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार को अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
5. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।
6. निविदा स्वीकृत की स्थिति में राफल निविदाकार को रांच द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।
7. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरे केवल ऑनलाइन ई-टेंडर में ही वर्णित करनी होगी।

8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
9. निविदाकार/आवेदक दशों में प्रचलित डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। निविदा हेतु स्वीकृति पश्चात ठेका अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी, उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर पर अनुपातिक रूप से संघ के निर्धारित नियमानुसार किया जा सकेगा। जो गान्य करना होगा।
10. निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्तें आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें।
11. परिवहनकर्ता को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में बतौर प्रतिनूति राशि रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) RTGS/NEFT या चेक के माध्यम से संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। साथ ही अमानत बतौर स्वयं के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते की हस्ताक्षरित चेक बुक भी जमा करनी होगी जो किसी भी प्रियाद की स्थिति में संघ की लेनदारी में भुनाये जा सकेंगी।
12. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। मुख्य संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्षों की अवधि में संतोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके दो वर्षों तक आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
13. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजस्व की जा सकेगी।
14. निविदाकार को FSSAI उन्नायता परिवहन का पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी छायाप्रति निविदा में संलग्न करना होगी। नवीन कार्य प्रारंभ करने पर आवेदन कर रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।


डिंपल सिपण्ड
 जून कृष संघ सद. कार्य.
 सचिव

15. आयकर विभाग से यदि स्थाई लेखा संख्या नम्बर है तो रांध को प्रस्तुत करना होगा। स्थायी लेखा संख्या नं. (पैन नं.) प्रस्तुत न करने पर आयकर अधिनियम अनुसार टैक्स का कटौत किया जायेगा।
16. वर्तमान में दुग्ध रांध के साथ कार्य कर रहे किसी भी ठेकेदारों द्वारा इस निविदा में भाग लिया जाना हो तो कार्यदेश से पूर्व औपचारिकताएं पूर्ण करते समय वर्तमान ठेके से संबंधित समस्त लेनदारी-देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया धनराशि एवं क्रेडिट (अथवा क्रेडिट की धनराशि) दुग्ध रांध में जमा कराना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त होकर ई.एम.डी राशि राजसात हो जायेगी।
17. दुग्ध रांध के साथ पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी ऐसे ठेकेदार जिनकी तरफ दुग्ध रांध की कोई भी बकाया राशि, क्रेडिट अथवा अन्य समग्री लंबित है इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। यदि ऐसे पूर्व ठेकेदार इस निविदा में भाग लेना चाहते हैं तो निविदा में भाग लेने के पूर्व समस्त बकाया राशि एवं क्रेडिट आदि दुग्ध रांध में जमा कर प्राप्त एनओसी को निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा।
18. ऐसी कोई भी पार्टी जिनसे पसूली अथवा अन्य प्रकरण में दुग्ध रांध के न्यायीक प्रकरण किसी भी माननीय न्यायालय में विचारधीन है, इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
19. दुग्ध रांध के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत निविदाकार को राशि रुपये 100 के स्टॉप पेपर पर शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
20. निविदाकार को निविदा के साथ इस आशय का शपथ पत्र राशि रुपये 100 के स्टॉप पेपर पर संलग्न करना होगा कि एनपीसीडीएफ भोजाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध रांध द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्निनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो।
21. ऐसे व्यक्ति/फर्म इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध किसी भी धाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज हो। इस बाबत निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप में रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।


प्रभारी निष्पन्न
 दृष्टव्य दुग्ध रांध सह. सम.

22. दुग्ध संघ द्वारा निविदा में प्रस्तुत मार्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (मार्ग में दुग्ध विक्रय केन्द्र/विक्रय स्थल बढ़ाने/घटाने) करने पर व्ययित निविदाकार को स्वीकृत परिवहन दशों पर वाहन संचालित करना होगा।

मेरे द्वारा सौची दूध परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्तों पढ़ व समझ ली है तथा मैं/ हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 22 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो मेरी निविदा निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी राजसूत करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

Pratap
प्रभारी निपण्ड
राज्य दूध संघ सह. मार्ग.
राजसूत

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
उज्जैन

पासपोर्ट
साइज फोटो
(स्व प्रमाणित)

महोदय,

सांघी दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांकको दैनिक रानावार पत्र में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः एतत् द्वारा ईएमडी राशि रु. 10,000/- (अक्षरी रु. दस हजार मात्र) ऑनलाइन माध्यम से जमा कर जमा रसीद संलग्न किया जा रहा है।

तकनीकी अर्हताएं

क्रमांक	आवश्यक अर्हता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	उम्मीदवार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4.	निविदाकर्ता का पैनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य।		पैनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	सांघी दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु टाटा - 407 या समकक्ष क्षमता 300 क्रेट स्वयं के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित		उपलब्ध वाहन के पंजीयन अथवा वाहन खरीदने का

	इंसुलेटेड वाहन गॉडल - 2016 या उसके बाद का होना अनिवार्य है। (वाहन खरीदने की स्थिति में तदाराय का शपथ पत्र संलग्न करें। स्वयं का वाहन होने पर मंजीयन प्रमाण पत्र की कॉपी)		मूल शपथ पत्र संलग्न करें।
6	परिवहनकर्ता का FSSAI का मंजीयन आवश्यक है। (FSSAI उपलब्ध नहीं होने की दशा में FSSAI हेतु आवेदन कर रसीद प्रस्तुत करना होगी।		FSSAI प्रमाण पत्र की प्रति या FSSAI हेतु आवेदन कर रसीद प्रस्तुत करें।
7	ई.एम.डी. राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य राशि।		ऑनलाइन जमा राशि की मूल रसीद संलग्न करें।
8	बैंक का नमूना एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेंट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त बैंक लगावें।
9	द्वितीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)
10	निविदाकार दुग्ध संघ का कर्मचारी /संचालक मण्डल सदस्य अथवा रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		मूल शपथ संलग्न करें।
11	निविदाकार को एम्पीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		मूल शपथ संलग्न करें।
12	निविदाकार के विरुद्ध किसी भी धान में अपराधिक प्रचरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट:-

1. तबत समस्त शपथ पत्र रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर पृथक-पृथक मूल रूप से नोटराईज्ड करके आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. सबत दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित करना अनिवार्य है।
3. तकनीकी अर्हताओं संबंधित प्रपत्र क्रमांक 01 निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र क्रमांक 02 पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर कर अनैस्ट मनी ऑनलाईन जना रलीफ के साथ एक लिफाफे में एवं निविदा दर सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 03 ऑनलाईन के मध्यम से प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अर्हताएं पूर्ण करने वाले निविदाकार की ही निविदा दरें खोली जावेगी। प्रपत्र क्रमांक 04, अनुबंध की शर्तों का प्रारूप पढ़कर, समझकर मान्य होने की स्थिति में ही निविदा प्रस्तुत करें।
4. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर तैका निरस्त कर अमानत शशि राजरात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

नाम

पता

दूरभाष नम्बर

मोबाईल नम्बर

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता हेतु भाव पत्र
केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु

1. वाहन का विवरण :- टाटा - 407 या समकक्ष (इंसुलेटेड) वाहन मॉडल - 2016 के उसके बाद का क्षमता 300 क्रेट
2. प्रस्तावित दर -

मार्ग क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दर रुपये/प्रति किलोमीटर
1	दुग्ध संयंत्र सज्जैन से सारंगपुर-पचौर मार्ग	दर केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करें

नोट :-

- दरें तापरोधी (इंसुलेटेड) वाहन हेतु ही मान्य होगी।
- यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो परिवहनकर्ता को लॉटरी के माध्यम से चयनित किया जावेगा।

(Signature)
 प्रभारी निष्पन्न
 सज्जैन दुग्ध संघ सह. संघ.
 सज्जैन

दुध वितरण परिवहन हेतु अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांक को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गल्ली रोड उज्जैन एवं श्री जिन्हें आगे परिवहनकर्ता ठेकेदार के नाम से संबोधित किया जाएगा, के मध्य निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे -

ठेकेदार द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के दुग्ध संचयन तक के समस्त वितरण केन्द्रों तक दुग्ध पैकेट एवं दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट दुग्ध संघ तक परिवहन करने के वास्ते अपने तापरोधी निजी वाहन क्रमांक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु निविदा में आवेदन किया है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इसमें आगे लिखे गए अनुबंध एवं शर्तों पर निविदाकर के आवेदन पर परिवहन दर रुपये प्रति किलोमीटर आना व जाना मिलाकर स्वीकार किया है।

1. यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। यदि परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने वास्तु देना होगा। इस स्थिति में संस्था को होने वाली क्षतिपूर्ति की वसूली परिवहनकर्ता से प्राप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
2. यह कि ठेकेदार होने पर ठेकेदार निर्धारित मार्गों एवं स्थानों पर अपने तापरोधी (इंसुलेटेड) निजी वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। मार्ग केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी, एवं इसमें आवश्यकता अनुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा, जो ठेकेदार पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाए गए विक्रय केन्द्रों को संख्या बढ़ाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन दुग्ध संघ को होगा, इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि वाहन अधिकतम किलोमीटर दशाने से वरु किलोमीटर प्रतिदिन ज्यादा चलती है तो उसकी दर निर्धारित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

3. अनुबंध अवधि के दौरान न्यायोचित परिस्थिति में अनुबंध को जारी रखना संभव न होने की स्थिति में एक माह की पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार समय पक्ष को होगा।
4. यह कि निविदा में निर्देशित दरों में वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय व दूध की क्रेडिट तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग में विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रों से क्रेट/पैकेट एवं केन आदि वापस लेकर डब्बेज डेयरी संयंत्र में चालान के अनुसार संप्रदाय द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिए पारिश्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
5. (अ)– टेकेंदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेरी से प्राप्त की गई है। उतनी ही क्रेट डेयरी संयंत्र में प्रतिदिन वापस कर रसोद प्राप्त करनी होगी। अन्यथा जितने क्रेट केन वापस किये जायेंगे, उतने क्रेटों की कीमत की राशि टेकेंदार के बिल में से काटी जायेगी।
(ब)– विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध मात्रा टेकेंदार को चालान में दर्शाई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं बूटि गए जाने पर समस्त जिम्मेदारी टेकेंदार की होगी एवं इसी प्रकार किसी कारणवश विक्रय केन्द्रों से वापस होने वाले दूध एवं क्रेट एकत्रित कर पूर्ण रूप से डेयरी क्लॉट में वापस करनी होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो क्रेट एवं दूध की मात्रा के समतुल्य राशि टेकेंदार से वसूल की जायेगी।
6. यह कि इस अनुबंध के विरुद्ध परिवहनकर्ता द्वारा प्रथम पक्ष के पास रुपये 1,00,000/- प्रतिभूति जमा की गई, साथ ही अपने स्वयं के नाम से बैंक में संचालित हो रहे खाता क्रमांक की चेक बुक हस्ताक्षरित/ रेखांकित प्रतिभूति बतौर जमा की गई है, जो प्रथम पक्ष के द्वारा परिवहनकर्ता से वसूली योग्य किसी भी राशि के प्राप्ति करने हेतु उपयोग किये जा सकेंगे।
7. मार्ग पर अकस्मिक रूप से बढ़ने वाली मांग की पूर्ति के लिए अतिरिक्त वाहन या अधिक क्षमता के वाहन की व्यवस्था की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी। अतिरिक्त वाहन व्यवस्था का मुगलान अनुबंधित दर पर किया जा सकेगा।
8. यह कि टेकेंदार वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। टेकेंदार या टेकेंदार द्वारा अधिकृत परिचालक वाहन चालक संप्रदाय के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध परिवहन के दौरान गड़बड़ी बिगड़ जाने की स्थिति में टेकेंदार का यह दायित्व होगा कि

यह दूसरी गाड़ी भेजकर या दूसरा इंतजाम करके समय पर कार्य संपन्न करें, अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई हानि हुई तो वह ठेकेदार की वसूली योग्य होगी। ऐसी घटना निरंतर होने पर अनुबंध निरस्त करके ठेकेदार की जमा प्रतिभूति राशि राजस्व को जा सकेंगी।

9. परिवहनकर्ता को निविदा में वर्णित शर्तों एवं मॉडल अनुसार दुग्ध वितरण व्यवस्था हेतु स्वयं के नाम का पंजीकृत/अनुबंधित इंजुलेटेड वाहन के माध्यम से करना होगा जिससे की दूध गुणवत्ता में किसी प्रकार का विपरित प्रभाव परलक्षित न हो। निर्धारित समय में इंजुलेटेड वाहन के माध्यम से वितरण नहीं पाये जाने पर परिवहनकर्ता को दिये गये मॉर्निंग से 10 प्रतिशत राशि का कटौती कर लिया जावेगा। परिवहनकर्ता को वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट एवं बीम से संबंधित सम्स्त दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रत्येक वर्ष दुग्ध संघ में जमा करनी होगी।
10. यह कि वाहन की खराबी अथवा ठेकेदार पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से वाहन के दिलगब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने पर या टूट फूट होने पर जो मुल्यांकित हानि होगी, उसका संपूर्ण दायित्व वाहन ठेकेदार का रहेगा।
11. यह कि ठेकेदार हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में सम्पर्क कर एवं हिसाब मिलान कर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले, अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जावेगी, जो ठेकेदार को मान्य करनी होगी।
12. यह कि ठेकेदार अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ही ले जावेगें, जितनी की शीट वालन में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो अधिक पाये गये दूध/दुग्ध मतार्थ/ केन क्रेट की मुल्यांकित राशि को 100 गुना राशि अर्धदण्ड स्वरूप संबंधित वाहन के ठेकेदार से की जा सकेंगी।
13. यह कि ठेकेदार/ वाहन चालक, ठेकेदार के कर्मचारी वापसी में सभी केन क्रेट्स लायेंगे दुग्ध चालन की परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की काट मीटी नहीं करेंगे, न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटावेंगे/बढ़ावेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदाय होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम ठेकेदार से वसूली की जावेगी।
14. यह कि दुग्ध वितरण केंद्र पर भेजे गये दुग्ध को ठेकेदार या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की राशि से दुगुनी कीमत वसूल की जावेगी।

15. यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा या स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा, तो उसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी, तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दूध संघ के अधिकारी द्वारा लिए गये सैम्पल की संघ प्रयोगशाला का जांच में प्रथम दृष्टि में अपमिश्रण की पुष्टि हुई तो तुरंत निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उज्जैन सहकारी दूध संघ नगर्गदित, उज्जैन को होगा एवं प्रतिनूति राशि भी जप्त की जा सकेगी।
16. यह कि वाहन ठेकेदार द्वारा कर्मचारी यदि वितरित किये जाने वाले दूध की मात्रा रिटर्न करता है एवं वह मात्रा (प्रयोगशाला) परीक्षण में अपमिश्रण की पुष्टि होती है तो ठेका निरस्त करके प्रतिनूति राशि राजस्व की जा सकेगी।
17. यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अमर व्यवहार नहीं करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी की शिकायत करने पर इस कर्मचारी को कार्य से ठेकेदार के तुरंत हटाना होगा। ठेकेदार कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अमर व्यवहार करने पर उनका ठेका तुरंत निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जा सकेगा।
18. यह कि ठेकेदार को डेयरी डॉक पर दूध पैकेट में छोट के माध्यम से दिया जावेगा, जिसे निर्धारित समय में परिवहनकर्ता को उठाना होगा। डेयरी डॉक पर परिवहनकर्ता छोट कर दूध का पैकेट लेगा एवं वितरण को अच्छे पैकेट देगा। दूध वितरण के उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही वितरण दूध के पैकेट वापस लिये जा सकेंगे।
19. यह कि उज्जैन सहकारी दूध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में ठेकेदार के अटेंडेन्ट दूध के क्रेट उठाकर निरीक्षण कार्य को संपन्न करावेंगे। सुरक्षा गार्ड एवं वितरण कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यहार नहीं किया जावेगा, व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात ही दूध वितरण वाहन को डेयरी से बाहर जाने दिया जावेगा।
20. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो ठेकेदार से रुपये 250/- प्रतिव्यक्ति की दर से शारित वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

21. विशेष परिस्थितियों में वाहन यदि निर्धारित समय से 15 मिनट तक की अवधि में विलम्ब हो आता है तो उसकी छूट दी जावेगी। किन्तु वाहन 15 मिनट से अधिक देरी से डेयरी डॉक विपणन पर पहुंचता है तो वाहन ठेकेदार से राशि रु. 500/- की शास्ती अधिरोपित की जावेगी।
22. यह कि दुग्ध वितरण के पश्चात खाली क्रेडिट वापसी लेकर निर्धारित समय में डेयरी में आना अनिवार्य है। प्राप्त की गई क्रेडिट उसी राश्या में वापिस न आने पर लग प्राप्त क्रेडिट की राशि कर्तौबा परिवहन देयक से तत्काल किया जायेगा। परिवहनकर्ता को देयक के साथ क्रेडिट का मासिक हिसाब देना होगा।
23. यदि ठेकेदार का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या प्रबंधक विपणन को लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा। जिसकी अधिकतम अवधि पन्द्रह (15) दिन की रहेगी। तत्पश्चात स्वयं का वाहन कार्य पर लगाना होगा। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजशाय करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ का होगा।
24. यह कि ठेकेदार का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई वाहन की व्यवस्था ठेकेदार करेगा, उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इस हेतु अग्रिम जानकारी भी कार्यालय को देनी होगी।
25. मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन डेरी उज्जैन अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना ठेकेदार दुग्ध पदार्थ या दुग्ध सेवेट/क्रेटों से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्ति या अन्य सान्धियों को नहीं ले जा सकेगा।
26. वाहन ठेकेदार द्वारा परिवहन देयक प्रतिमाह की 01 से 15 तारीख तक के नियमित रूप से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक तथा 16 से 30/31 तारीख तक के नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक के परिवहन देयक संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक के सत्यापन टीप एवं कार्य संतोषप्रद होने की अनुशंसा तथा क्रेडिट/ केन खाते की Reconciled बकाया स्थिति अंकित कराने पश्चात देयक संघ में जमा कराना होगा, जिसका मुगतान संघ द्वारा देयक प्रस्तुत होने के बाद 15 दिवस में RTGS/NEFT बैंक द्वारा किया जा सकेगा।
27. वाहन चालक द्वारा ऊमद्र व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर प्रबंधक (संचयन संचालन) या डॉक विभाग कर्मियों द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को ठेकेदार को तुरंत बदलना होगा।


प्रभारी विपणन
 उज्जैन दुग्ध संघ सह. सम. पुर्वम

28. यह अनुबंध दिनांक से तक 3 वर्षों के अवधि तक प्रभावशील रहेगा, इसके अन्तर्गत जल्लेखित निर्देशों की अचहेलना करने या रांतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा बिना कोई कारण बताये ठेका समाप्त किया जा सकेगा, एवं ठेका समाप्त किये जाने पर ठेकेदार किसी भी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।
29. वितरण के दौरान वाहन का आकरिमक निरीक्षण किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ, उज्जैन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी/नियंत्रक के द्वारा किया जा सकेगा। उसी निरोक्षण करने से रोकना या उसके साथ अमर व्यवहार करने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के होगा।
30. ठेकेदार को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा, और न ही उन ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा गया गया तो ठेका तुरंत निरस्त करने का अधिकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।
31. संघ की बकाया कोई भी राशि ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से वसूली की जा सकेगी।
32. डेरी की परिधि के अंदर आने जाने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की रफ्तार से ज्यादा की गति से नहीं चलाया जाये, और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जाये। यदि ऐसा किया गया तो रुपये 100/- प्रतिवाहन प्रतिवार जुर्माना किया जायेगा, जो कि परिवहनकर्ता के दंडक से काटा जायेगा।
33. ठेकेदार द्वारा दिये गए भाव स्वीकृत होने पर उसी भाव से ठेका अवधि में अपना स्वयं का वाहन चलाएगा। यदि ठेकेदार द्वारा वाहन चलाने के लिए असमर्थता की गई तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ठेकेदार की अनुबंध निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार होगा।
34. अनुबंध पत्र की किसी भी शर्तों एवं दुग्ध संघ द्वारा दिए गए निर्देशों, शर्तों एवं सूचनाओं की अचहेलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।
35. ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशामें अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, उज्जैन या उनके द्वारा नियुक्त संचालक/अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा।


प्रभारी विपणन
 उज्जैन दुग्ध संघ सह. संघ.
 उज्जैन

36. उपररक्त शर्तों के अलावा रांध के हित को देखते हुए कोई भी न्यायोचित शर्त लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, को होगा।
37. वाहन ठेकेदार को क्रेट का लेखा जोखा स्वयं रखना होगा, कम क्रेट की वसूली हेतु आदेश पत्र ठेकेदार को दिया जावेगा, उस आदेश पत्र प्राप्ति के 06 दिवस के अंदर बकाया क्रेट संघ में जमा करना होगा, अन्यथा निर्धारित दर के अनुसार बिना पूर्व सूचना के ठेकेदार के देयक से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी। कटौती होने के पश्चात काटी गई राशि वापस नहीं होगी।
38. ठेकेदार खाली क्रेटों का लेखा जोखा प्रत्येक माह के अगले माह को 5 तारीख को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवे निराकरण पूर्ण न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसके लिए स्वयं ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
39. यह अनुबंध तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा, दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की रागान शर्तों एवं दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
40. यदि वाहन ठेकेदार शर्तों के परित्यजन में असमर्थ है या ठेका अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह पूर्व रांध को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि एवं शेष देयकों की राशि राजसात की जा सकेगी।
41. वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तों के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने एवं कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए उज्जैन दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा, इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में ठेकेदार द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ के पत्र जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी, एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण उज्जैन दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान ठेकेदार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा मांग करने पर तुरंत करना होगा, क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण जो कि ठेकेदार से वसूल की जाना है के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
42. ठेके के बीच अवधि में यदि डीजल ऑयल की दरों में औसत वृद्धि/ कमी होती है तो अनुपातिक वृद्धि/कमी संघ के नियमानुसार वाहन की स्वीकृति दरों में की जा सकेगी।

43. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी। तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की नियमानुसार भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी बीमा राज्य अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी।
44. यदि कार्य संपादन करने में वाहन ठेकेदार संघ के मापदण्डों पर उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो परिवहन ठेका एक नाह के नोटिस पर संघ को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा तथा कार्य समाप्त करने की अहमता के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार एवं जवाबदार होंगे, तथा संघ उक्त वितरण मार्ग पर अन्य परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति वारंते पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।
45. दुग्ध की मांग के अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद की मांग होने पर एवं वाहन में पर्याप्त स्थान होने पर दुग्ध उत्पाद का परिवहन भी करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए पृथक से परिवहन व्यय नहीं दिया जावेगा। वाहन में लोड दुग्ध पदार्थ के व्यवस्थित रख रखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसमें लापरवाही होने पर यदि पदार्थ को कोई हानि होती है तो ठेकेदार से वसूलों की जा सकेंगी।
46. परिवहनकर्ता को वितरक कार्य में संलग्न वाहन का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एन.ओ. सी. प्रमाण पत्र एवं एफ.एस.एस.एआई. (फ़ूड सेफ्टी लायसेंस) प्रतिवर्ष नवीनकृत कराकर प्रस्तुत करना होगा।
47. आपातकालीन स्थिति यथा नदी-नाले बढ़ने पर या अन्य किसी अप्रत्याशित घटना से मार्ग अवरुद्ध होने की दशा में दुग्ध वितरण संबद्ध नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के थाने से लिखित सूचना/प्रबंधक शीतकेन्द्र से लिखित सूचना कार्यालय में 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में नियमानुसार कटौती नासिक देयक से किया जावेगा।
48. उपरोक्त अनुबंध के शर्तों के अलावा इस निधिदा की प्रक्रिया, सम्स्त शर्त एवं समय-समय पर संघ द्वारा जो भी लिखित निर्देश पत्र/परिपत्र के माध्यम से दिए जाएंगे, वे सभी इस अनुबंध के भाग माना जाएंगे एवं उसके पालन हेतु परिवहनकर्ता बंधनकारी होगा।
49. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसी निराकरण हेतु Arbitrator प्रबंध संचालक एम्पीरीडोएण्ड गोपाल के समक्ष रखा जावेगा। उनका या उनके द्वारा नियुक्त किये सक्षम अधिकारी का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
50. इस अनुबंध का न्यायिक काम क्षेत्र, उज्जैन शहर का न्यायालय होगा।


प्रभारी वितरणक
 उज्जैन दुग्ध संघ सह. बन्द.
 मुख्य
 २०२४

51. संकण त्रुटि या किसी अन्य कारण से अनुबंध की कपिडका की स्पष्टता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब अनुबंध की कपिडका को स्पष्ट करने, बदलने एवं हटाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास होगा, जो कि द्वितीय पक्ष को बन्धनकारी होगा।

हस्ताक्षर ठेकेदार -

नाम.....

नाम.....पिता का नाम.....आयु.....निवासी.....
ऊपर उल्लेखित हस्तक्षरित की गई निविदा क्षेत्र मेरे द्वारा भलीभांति
पढ़कर/समझकर एवं स्वीकार कर उज्जैन दुग्ध संघ के पक्ष में हस्तक्षरित की गई।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ
मर्था, मकसी रोड, उज्जैन -
456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
परिचालनकर्ता

नाम.....

हस्ताक्षर साक्ष्य - 1

नाम :

पता:

हस्ताक्षर साक्ष्य - 1

नाम :

पता:

मधारी विपणन
उज्जैन दुग्ध संघ सह. संघ.
उज्जैन

मार्ग का विवरण

1- दुग्ध संयंत्र उज्जैन से सारंगपुर-पचौर परिवहन मार्ग :-
दुग्ध संयंत्र उज्जैन से

- मक्सी
- सारंगपुर
- पचौर

वाहन का प्रकार : टाला - 407 अथवा समकक्ष इन्टरलैडेड वाहन

क्रेट क्षमता :- 300 क्रेट

मॉडल : 2016 या उससे बाद का या नया वाहन

आना जाना दूरी (अनुमानित) :- 230 कि.मी. आना-जाना प्रतिदिन (वाहन संचालन के पूर्व
वस्तुविक दूरी का सत्यापन किया जाएगा।)

दर : प्रतिकिलोमीटर अनुसार

Prakash
प्रकाश मिश्रण
उज्जैन दुग्ध संघ सह. मय्या
उज्जैन

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटसाईज्ड कराकर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1- उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन से सारंगपुर-पर्वार मार्ग पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा उक्त मार्ग के लिए ई-निविदा प्रस्तुत की गई है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं उज्जैन दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता


प्रकाश सिंग
उज्जैन दुग्ध संघ सद. बनी.
उज्जैन

वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।
(रु. 100 के गौन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मुझ शपथ ग्रहिता द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा दुग्ध संयंत्र उज्जैन से शारंगपुर-पच्चौर मार्ग दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा प्रस्तुत की गई है, यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार टाटा-407 ऊथवा समकक्ष (क्षमता 300 क्रेट) मॉडल 2018 या उसके बाद का या नया इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूँ अन्यथा ई-निविदा अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता


प्रभासी किमजदार
उज्जैन दुग्ध संघ सह. यमा.
उज्जैन

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध रांधों से टर्मीनेट नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध संयंत्र उज्जैन से सारंगपुर-पवौर मार्ग पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकता को नियुक्ति हेतु ई निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा उक्त मार्ग के लिए निविदा प्रस्तुत की गई है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं एम्पीसीडीएफ नोमाल अथवा समकक्ष किसी भी दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मीनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अन्वय पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता


प्रकाश सिंघ
उज्जैन दुग्ध संघ सद. बदा.
उज्जैन

किरी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मुझ शपथग्रहिता द्वारा दुग्ध संयंत्र उज्जैन से सारंगपुर-पर्वर मार्ग पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता को नियुक्त हेतु ई-निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सती विपणन
उज्जैन दुग्ध संघ सह. समी.
उज्जैन